

06.07.2021

वादी, हंसाराम कंध ने न्यायालय
में उपस्थित होकर शर्चना - पत्र
पेश कर पञ्चायती तारीख पेशी
पर लेने एवं शर्चना पत्र जदिले
वाद विहोल करने, मत्र शपथ पत्र,
आधार कार्ड की उक्ति, राशन कार्ड
की उक्ति व ग्राम पंचायत कागजात
पंचायत समिति जालोर के द्वारा
जारी प्रमाण पत्र की उक्ति का दावा
में पेश कर निवेदन कि जालोर
कि उपरोक्त वाद - पत्र उसी तौर
हाजरी व बिना उसके हस्ताक्षरों
के न्यायालय में पेश किया गया है,
उक्त वाद की पेशीकारी व पेशी
हेतु न तो वह कभी बालोत्ररा
आया, न ही उसे उक्त वाद की
जानकारी है, उक्त वाद को आगे
चलाना नहीं चाहता हूँ, एवं वाद के

श. १३
हंसाराम
ID by me
श्री नरिंदर गौड़
ID by me
श्री नरिंदर गौड़
11/07/2021



सहायक न्यायाधीश
(आ.प्र.) बालोत्ररा

जरि ले विद्वान खासिज कारान का
निवेदन किया गया। डक्टर हंसाराम
वादी की पहचान श्री श्रीराम सिंह
काठौड़ के द्वारा एवं अधिवक्ता
श्री मोहित सोलंकी के द्वारा
की गई।

वादी के शरीर पर पर
पगवली तारीख पेशी पर
ली जाकर वादी स्वयं की
सुना गया।

श्री अन्वयाराम घोरी विद्वान
अधिवक्ता के द्वारा शरीर पर
अन्वयाराम द्वारा 75 CPL के तहत
FSL मेजने वाक्य पेश कर निवेदन
किया गया कि प्रकल में एक
जखिर ने आवेदन पत्र व नोटरी
के तस्वीक सुदा शपथ पत्र न्यायलय
में प्रस्तुत कर कथन किया है कि



[Signature]
सहायक जज
(S.D.O.) काठौड़

वाद-पत्र पर उसके हस्ताक्षर
 नहीं है, इस वाद-पत्र को
 आगे चलाया नहीं गया है,
 उक्त तथ्यों की मेरे वाद-पत्र
 पर हस्ताक्षर। अगुल निशान नहीं
 है, मुझे अखिलका की साज पर
 प्रश्न पत्र है, इससे वाद-पत्र
 पर किए गये अगुल निशान व
 आज पेश आपत्र-पत्र पर किए अगुल
 निशान का F.S.L. से मिलान
 करवाना आवश्यक है, ताकि
 वास्तविक तथ्य सामाजिक शी के
 समक्ष आ सके, F.S.L. रिपोर्ट आने
 तक कार्यवाही को प्रभावित रखा
 जावे। F.S.L. रिपोर्ट हेतु उक्त
 प्रकरण को धारा 75 CrP के
 तहत भेजा जावे। विद्वान अखिलका
 श्री जयलाराम घोरी को बुना गया।



[Signature]
 सहायक कमिश्नर
 (S.D.O.) बालोत्रा

पञ्जावली का जयलोकन विना
गंगा, वादी ह्याराम रकम 50
वादी पत्र को आगे नही चलाना
चाहता है, ऐसी स्थिति में
वादी के द्वारा प्रस्ताव शर्त
पत्र को स्वीकार कर लक्ष्मी
के वाद को जरिजे किडोल्
स्कारिज किया जागा है।

विद्वान अधिवक्ता श्री कन्हैया राम
चोरी के द्वारा प्रस्ताव शर्तना-पत्र
धारा 75 CPC के तहत FSL
रिपोर्ट के सवाब में कजुंटा सफा
व्यामालम में प्रस्ताव कर चामोडी
कर सकते है। पञ्जावली को
शुमार होकर नकर दे कम
है।

(नरेण्डी श्रीनी)
प्रमाण लेखक
(B.D.O.) बालोवा